न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

1–प्रकरण संख्या 30/2013 (उदयपुर आर्डर)

1. **श्री लोगर पिता नवला जी गाडरी के बजाय :–**
   - 1/1– श्री नारायण लाल पिता श्री लोगर जी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
   - 1/2– श्रीमती भंवरीबाई पत्नी रूपा जी गाडरी पुत्री श्री लोगर जी निवासी मान मथारा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
   - 1/3– श्रीमती केसर पत्नी श्री पेमा जी गाडरी पुत्री श्री लोगर जी गाडरी निवासी खरवड़ों का गुड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर
   - 1/4– श्रीमती रेखा पत्नी श्री टीला जी गाडरी पुत्री श्री लोगर जी गाडरी निवासी भेसड़ा कल मगरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
   - 1/5– श्रीमती मानीबाई पत्नी स्व. श्री लोगर जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री पीथा उर्फ पीथाराम पिता श्री नवला जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. मु0 प्रतापी बेवा नवला जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री भंवर पिता श्री गिरधारी जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

2. **श्री ऊंकार पिता श्री गिरधारी जी के बजाय**
   - 2/1– श्री मोहन पिता ऊंकार जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
   - 2/2– श्री लालू पिता ऊंकार जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
   - 2/3– श्रीमती जुमली पुत्री ऊंकार जी गाडरी जरिये संरक्षिका माता श्रीमती हीराबाई पत्नी श्री ऊंकार जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
   - 2/4–श्री भेरूलाल पुत्र ऊंकार जी गाडरी जरिये संरक्षिका माता श्रीमती हीराबाई पत्नी श्री ऊंकार जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
   - 2/5– श्री दिनेश पुत्र ऊंकार जी गाडरी जरिये संरक्षिका माता श्रीमती

हीराबाई पत्नी श्री ऊंकार जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

2/6– श्रीमती दिनेश पुत्र ऊंकार जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

3. श्री रामा पिता श्री गिरधारी जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उयपुर (राज0)
4. श्री केसू पिता श्री गिरधारी जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उयपुर (राज0)
5. मु. ऐजीबाई पत्नी श्री गिरधारी जी गाडरी निवासी झंझेला तहसील मावली जिला उयपुर (राज0)
6. श्रीमती हीराबाई पिता श्री दल्ला जी गाडरी निवासी जोपुरा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
7. श्रीमती भूरीबाई पत्नी श्री देवीलाल जी गाडरी निवासी पालवास तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
8. श्रीमती धापूबाई पत्नी श्री रामा जी गाडरी निवासी मानमथारा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
9. श्रीमती रूपीबाई पत्नी श्री गिरधारी जी गाडरी निवासी खेमली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी मावली दिनांक 29–10–2013 प्रकरण सं.150/2012

प्रार्थना पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री सुखलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री ओंकार लाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 9

——————/——————

निर्णय **दिनांक 30–10–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 9 द्वारा अपीलान्ट विपक्षीगणों के विरूद्ध 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या–2 व 3 में वर्णित आराजीयात जो कि मौजा झंझेला व खेमली में स्थित है। उक्त प्रकरण में उदा के 2 पुत्र देवा व कालू हुए। देवा लाओलाद फोत हो गया तथा कालू के पुत्र गिरधारी होकर प्रार्थीगण संख्या–1 से 9 (रेस्पोन्डेन्ट) वारिसान है। कालू व गिरधारी व देवा की भी मृत्यु हो चुकी है। भूमियां मोरूष उदा के समय से चली आ रही है तथा इसमें प्रत्येक प्रार्थी का 1/9 हक हिस्सा है तथा कब्जा भी उन्हीं का है। विपक्षीगण 1 से 3 का इस भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। सेटलमेन्ट के दौरान विपक्षीगणों के पूर्वज नवला जी ने मिली–भगत कर उक्त भूमियों में अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया। भू–प्रबन्ध विभाग को ऐसी कार्यवाही किये जाने का कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेन्ट द्वारा कालू के लड़के की सहमति होना बताया परन्तु सहमति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। विपक्षीगण उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त में बेजवह दखलन्दाजी करते है। अतएव विपक्षीगणों को मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं प्रार्थीगणों के कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करने व विक्रय नहीं करने की अस्थाई निषेघाज्ञा दिलवाई जाय।

वपक्षी संख्या–1 से 3 की और से खण्डन का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण का इस भूमि पर 1/2 हिस्से का कब्जा है। उदा के 2 पुत्र नहीं होकर 3 पुत्र थे। देवा लाओलाद फोत हुआ, कालू के वारिसान प्रार्थीगण व तीसरा पुत्र नवला था। जिसके वारिसान विपक्षीगण है। उदा के तीसरे पुत्र के रूप में नवला का हक होने से विपक्षीगण 1/2 हिस्से के काश्तकार है। क्योंकि देवा लाओलाद फोत हो गया था। इन्तकाल संख्या 434 में कालू के वारिसान गिरधारी ने स्वयं स्वीकार किया था कि विपक्षीगण के पिता नवला का भी हिस्सा है, उसी अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग ने खसरा परिशोधन पत्र भरा था। भूमियां रेल्वे की अवाप्ति के समय भी उन्हें 1/2 हिस्से का मुआवजा मिला था। प्रार्थना पत्र गलत होकर खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में जवाबूल जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगणों के पूर्वज नवला के पिता उदा के पिता का नाम भेरा है, वहीं देवा, कालू के पिता उदा के पिता का चतरा है, अर्थात विपक्षीगणों के पूर्वज उदा एवं प्रार्थीगणों के पूर्वज उदा अलग–अलग व्यक्ति है। उदा जी के 2

ही लड़के थे नवला नाम का उनके कोई पुत्र नहीं था। नामान्तरकरण संख्या 434 पर गिरधारी की स्वीकृति भी नहीं है। मुआवजा ले लेने से विपक्षीगणों का स्वत्व नहीं बनता।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 29–10–2013 से प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय क उक्त निर्णय दिनांक 29–10–2013 से रूष्ट होकर विपक्षीगण अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–11–2013 किो पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 9 की और से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगणों का प्रथम दृष्टया प्रकरण मानने में त्रुटि की है तथा इस अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में प्रार्थी उन्हें बेज़ा बेदखल करने का प्रयास करेंगे, जिससे अनावश्यक विवाद बढ़ेगे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अधिकार के पूर्व प्रविष्टियों को दोहराने के स्थान पर विपक्षीगण के पिता का नाम त्रुटिपूर्वक रूप से जोड़ा है, जबकि भू–प्रबन्ध विभाग का इस बाबत् कोई क्षैत्राधिकार व अधिकार नहीं था तथा प्रार्थीगणों के पूर्वजों की भी इस पर सहमति नहीं थी।

वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा बहस सुनने के बाद आदेश–41, नियम–27 का एक आवेदन दिनांक 26–10–2017 को पेश किया। बहस सुनने के बाद इस प्रकार के किसी आवेदन की कोई उपादेयाता अथवा

विचारण विधि सम्मत नहीं होने से आवेदन खारिज किया जाकर शामिल पत्रावली रहे।

हम अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अभिमत से सहमत है कि अपीलान्ट विपक्षी के पूर्वज में जो अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग ने सृजित किये थे, वे प्रारम्भतः प्रथम दृष्टया अविधिक है। अविधिक स्वत्व के आधार पर रेकार्ड में प्रविष्ट व्यक्ति का कब्जा होने बाबत् भी कोई प्रभावी साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है तथा कब्जा हमेशा विधिक स्वत्व का अनुसरण करता है।

उपरोक्तानुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–10–2013 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–10–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर